



ख हुकम	<p>हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p> <p>राजस्व आवेदन संख्या 142/2020 अनवान कुम्भाराम बनाम अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग बाड़मेर</p>	<p>नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए</p>
09.10.2021	<p>राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान राजीव गांधी सेवा केन्द्र शिवकर पर जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 09.10.2021 को राजीव गांधी सेवा केन्द्र शिवकर पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">   <b>(रोहित चौहान)</b>  उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर </p> <p>पत्रावली राजीव गांधी सेवा केन्द्र शिवकर में पेश हुई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थीगण के नॉटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके है। अप्रार्थीगण आज सूचना बावजूद अनुपस्थित होने से उनके विरुद्ध ईकतरफा कार्रवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी ने भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131, 136 के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया।</p> <p>प्रकरण मे तहसीलदार बाड़मेर से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बाड़मेर की रिपोर्ट अनुसार रेकॉर्ड की जाँच की गई, उसके उसमे पाया गया कि उक्त खसरा में से रोड़ हेतु न तो कोई खसरा सृजित हुआ है और न ही रकबा कम हुआ है अर्थात् इस खसरे में कोई सड़क तरमीम नहीं है। राजस्व रेकॉर्ड में इस खसरे मे सड़क दर्ज नहीं है।</p> <p>अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र निराधार होने से खारिज किया जाता है। निर्णय मजमेआम में सुनाया गया। पत्रावली सुमार फ़ैसल होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;">   <b>(रोहित चौहान)</b>  उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर </p>	